ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा
प्रेस नोट दिनांक 18.03.2011

पंचायतीराज विभाग

- पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ करने के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की बजट घोषणा के अनुरूप 1491 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2011–12 में पंचायतीराज संस्थाओं को उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- माननीय मुख्यमंत्रीजी की बजट घोषणा वर्ष 2011–12 के अनुसार राज्य की सभी 249 पंचायत समितियों के प्रधानगणों के उपयोग हेतु एक वाहन अलग से उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर 12 करोड़ 50 लाख रूपये का खर्चा होगा।
- इसी प्रकार समस्त 33 जिला परिषदों को एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य में जो नई 11 पंचायत समितियां गठित की गई है, उनके भवन निर्माण हेतु 5 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि का प्रावधान मुख्यमंत्रीजी की बजट घोषणा के अनुसार किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था (NIRD), जयपुर केन्द्र जिसका उद्घाटन 22 अगस्त, 2010 को माननीय

—/

मुख्यमंत्रीजी एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रीजी, भारत सरकार द्वारा रेल्वे स्टेशन जयपुर के पास स्थित चौपाल भवन में किया गया था, के लिए 100 एकड़ जमीन जयपुर–दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर ग्राम चाप में निःशुल्क आवंटित की गई है। इस संस्थान के प्रारम्भ होने से ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर रिसर्च कार्यों को बढावा मिलेगा तथा विभिन्न प्रशिक्षण, सेमिनार, वर्कशॉप आदि के साथ साथ राज्य सरकार को इन मुद्दों पर परामर्श मिल सकेगा।

- राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के 75 विकास अधिकारियों का प्रथम बार चयन कर नियुक्ति दे दी गई है तथा 149 पदों की भर्ती दिसम्बर, 2011 तक होने की सम्भावना है।
- पंचायत समितियो में कनिष्ठ अभियंताओं के 121 रिक्त पदों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे।
- तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों के स्थाई समाधान हेतु 50 हजार शिक्षकों की भर्ती जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही है।

—2

- राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत किये जा रहे करों जैसे:— खनिजों पर रॉयल्टी एवं पैट्रोलियम पर रॉयल्टी में हिस्से के अलावा पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा अधिरोपित कर संग्रहीत किये जायेंगे। इसी प्रकार राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत देय स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाकर मुख्यमंत्रीजी की बजट घोषणा के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायेंगे।
- राज्य में 1 अप्रेल, 2011 से ग्राम सचिवालय व्यवस्था की शुरूआत की जायेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 5, 12, 20 व 27 तारीख को ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत स्तरीय सभी विभागों के कर्मचारियों को उपस्थित रहकर आमजन के कार्य सम्पन्न किये जायेंगे।
- सभी ग्राम पंचायतों में उपयोग में ली जा रही स्टेशनरी यथा रोकड़ बही, रसीद बुक, पट्टा बही एवं ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर आदि में एकरूपता लाने एवं गुणवत्ता पूर्ण स्टेशनरी दिनांक 1.04.2011 से उपयोग करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

नरेगा योजना

- नरेगा योजनान्तर्गत खेतों पर "अपना खेत अपना काम" के तहत भूमि सुधार, सिंचाई सुविधा एवं बागवानी के कार्य करवाये जायेंगे।
- सिंचाई के कच्चे धोरों को पक्का करवाया जायेगा एवं धोरों को पक्का कराने की निरन्तरता में अनु.जाति एवं जन जाति के धोरों के बीच में आने वाले अन्य वर्गों की भूमि पर से गुजर रहे धोरों को भी सम्मिलित किया जायेगा।
- गांवाई रास्तों के दोनों ओर स्थित नरेगा अन्तर्गत चतुर्थ वरीयता के कार्यों हेतु पात्र खातेदारों की भूमि पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वृक्षारोपण कराया जायेगा। इसी प्रकार से अन्य वर्गों के काश्तकारों से जुड़ी हुई सार्वजनिक भूमि पर भी संबंधित काश्तकारों की सलाह पर वृक्षारोपण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कि वृक्षारोपण की जीवित प्रतिशतता और अधिक बढ सके।
- स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये डार्क जोन के अलावा अन्य ब्लॉक्स में नरेगा योजनान्तर्गत सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखते हुये नये कुंओ के निर्माण के कार्य भी श्रम सामग्री

के 60:40 के अनुपात के अन्तर्गत नियमानुसार करवाये जायेंगे।

- नरेगा में ही ग्रामों की आंतरिक सड़कों को अपनी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करते हुये इनका निर्माण प्री–कॉस्ट इण्टरलोकिंग टाईल्स/ब्लॉक्स एवं पत्थर व ईट के खरंजे के माध्यम से कराने के साथ साथ नाली निर्माण कार्य भी करवाये जायेंगे। यह कार्य पंचायत स्तर पर श्रम एवं सामग्री के 60:40 अनुपात को संधारित करते हुये किया जाएगा।
- ग्रेवल सड़कों के वे कार्य जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है, को नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाये जायेंगे। यह कार्य भी पंचायत स्तर पर श्रम एवं सामग्री के 60:40 अनुपात को संधारित करते हुये करवाये जाऐंगे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निर्मित हो रहे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के नागरिक सेवा केन्द्र खोले जायेंगे एवं इन केन्द्रों पर सहकारिता विभाग द्वारा मिनी बैंक की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिये एक रू. प्रतिमाह की टोकन राशि पर इन्हे स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा

--5

पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों पर RKCL के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कम्प्यूटर के विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

<u>ग्रामीण विकास</u>

- राज्य में ग्रामीण बीपीएल आवासों की लम्बित मांगों को ध्यान में रखते हुये इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर ही माननीय मुख्यमंत्रीजी की बजट घोषणा के क्रम में **"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना"** प्रारम्भ की जायेगी जिसमें वर्ष 2011—12 में 2 लाख 80 हजार अतिरिक्त आवास स्वीकृत किये जायेंगे जिन पर 1400 करोड़ रूपये की लागत आयेगी।
- जलग्रहण परियोजनाओं के कियान्वयन में भी पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने हेतु जलग्रहण समितियों को ग्राम पंचायत की उप समिति घोषित किया गया है एवं समिति द्वारा कय की जाने वाली निर्माण सामग्री हेतु सरपंच की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं में स्वयं सेवी संस्थाओं का योगदान बढाने हेतु प्रयासः

भारत सरकार के Ministry of Corporate Affairs द्वारा Corporate Social Responsibility Voluntary Guidelines वर्ष 2009 में ही जारी कर दी गई थी। हमारा यह प्रयास होगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में न केवल सरकारी एजेन्सियों को जोड़े बल्कि गैर सरकारी संस्थान, निजी संस्थान को भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भागीदारबनाने का सार्थक प्रयास करें। इसी कम में नरेगा के क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में चिन्हित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हमारा विभाग नरेगा के साथ साथ जलग्रहण, आजीविका परियोजनाओं, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण जैसे अन्य कार्यो में भी गैर सरकारी संस्थान अथवा निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढावा देने का प्रयास करेगा। इस सम्बन्ध में हम सभी वर्गो के साथ व्यापक चर्चा कर दिशा निर्देश / मार्गदर्शिका तैयार करेंगे।

--7